संख्या-60/2019/386/71-3-2019-61/2018टीसी-2

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 27 मार्च, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में 05 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि को आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2018-19/814, दिनांक 27-02-2019 एवं तत्क्रम में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-59/2019/286/71-3-2019-61/2018टीसी-2, दिनांक 25-03-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूँजीलेखा पक्ष में ''4210-03-105-04-डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, गोमतीनगर, लखनऊ में 24-वृहत निर्माण कार्य में कुल रू0 3000.00 लाख (रूपये तीस करोड़ मात्र) की हो रही सम्भावित बचत को पुनर्विनियोग के माध्यम से जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर 05 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय हेतु स्वीकृत की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय-अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/शाहजहॉपुर के निर्माण कार्य हेतु कि उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 25-03-2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 3000.00 लाख को निम्न विवरणानुसार व्यय किये जाने की कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	पुनरीक्षित लागत	कुल अवमुक्त धनराशि	प्रस्तावित धनराशि/मॉग	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त आवंटित धनराशि
1	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या	19576.36	13054.16	300.00	150.00
2	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती	19792.49	13054.16	1400.00	800.00
3	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच	19755.55	11758.00	2000.00	1050.00
4	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद	19322.55	12500.00	300.00	150.00
5	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर	19338.80	12929.16	1500.00	850.00
			योग	5500.00	3000.00

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
7. प्रस्तावित भवनों का निर्माण एम0सी0आई0 मानकों के अनुरूप कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिदेशक/कार्यदायी संस्था का होगा।
8. स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/शाहजहॉपुर के मूल स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।
9. प्रश्नगत कार्य का आई0आई0टी0 के विशेषज्ञ दल द्वारा थर्ड पार्टी आडिट कराकर उसकी रिपोर्ट शासन को 01 माह में उपलब्ध करायी जायेगी। थर्ड पार्टी आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि निर्गत की जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-67-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या:-60/2019/386(1)/71-3-2019, तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/शाहजहॉपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/शाहजहॉपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7. नियोजन-अनुभाग-4
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।